न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2013

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
सोहनलाल पुत्र नैना जाति माली निवासी बर तहसील रायपुर जिला पाली		1. अमरलाल पुत्र नैना जाति माली निवासी बर, तहसील रायपुर 2. गोपू पुत्र नैना जाति माली निवासी बर 3. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2001 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम बर के खसरा नम्बर 728 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज होने तथा उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जेर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम बर में गोपू पुत्र नैना नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट के दादा दीपाराम की भूमि थी तथा दीपाराम के दो पुत्र गोपू तथा नैना थे। अपीलाण्ट नैना का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोपू का पुत्र है रेस्पोडेन्ट संख्या 1, नैना का पुत्र नहीं था, नैना का एकमात्र पुत्र अपीलाण्ट है। इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समस्त तथ्यों की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वाद साबित हो सके। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी घोषित की है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील निर्णय होने के 11 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 2422 दिनांक 07.08.2012 के द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया तथा उक्त भूमि के बेचान हस्तान्तरण की कोशिश की, तो अपीलाण्ट को उक्त वाद की जानकारी हुई। जिस पर रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं प्रकरण रिमाण्ड करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सेटलमेन्ट कर्मचारीयों की भूल से राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्ठियां रद्दोबदल हुई, उनको दुरूस्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्थान पर जैर अपील वादस्थ भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी किये गये, वो सम्मन विधिवत तामील होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण रेस्पोडेन्ट' संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए समुचित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा निर्णय पारित होने के 12 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय ए0आई0आर0 1964 पृष्ठ 1336 में परिसीमा अधिनियम.की धारा 3 व 5 के बारे में observe किया है कि – Section 3 of the Limitation Act enjoins a Court to dismiss any suit instituted, appeal preferred and application made, after the period of limitation prescribed therefor by scheduled 1 irrespective of the fact whether the opponent had set up the plea of limitation or not. It is the duty of the Court not to proceed with the application if it is made beyond the period of limitation prescribed. The Court had no choice and if in construing the necessary provision of the Limitation Act of in determining which provision of the Limitation Act applies, the subordinate Court comes to an erroneous decision, it is open the Court in revision to

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

interfere with that conclusion as that conclusion led the Court to assume or not assume the jurisdiction to proceed with the determination matter.

Section 5 of the Limitation Act on the other hand, empowers the Court to admit an application, even when presented after the expiry of the specified period of limitation if it is satisfied that the application had sufficient cause for not presenting it within time. The Court therefore and jurisdiction to determine whether there was sufficient cause for the appellants not making the application for the setting aside of the abatement of the suit in time and, if so satisfied to admit it. इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने अभिनिर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलम्ब उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले में गुणावगुण पर विचार करना चाहिए, यदि मेरिट पर मामला अच्छा है, तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में आर0बी0जे0 2006 (13) पृष्ठ 796 में यह निर्धारण किया गया है कि जहां प्रकरण में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा प्रश्नगत हो, वहां देरी से अपील प्रस्तुत करने का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने जैर अपील वादस्थ भूमि को अपनी पुश्तैनी होना बताया है तथा जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संयोजित किया है, वह व्यक्ति मौजूद ही नहीं होना रेकर्ड पर आया है। ऐसे में एकपक्षीय आदेश में किसी प्रकार की परिसीमा को तात्विक माना जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः उपरोक्त सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्थान पर स्वयं की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त सम्मन पर तामील कुनिन्दा की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, वह हू-ब-हू इस प्रकार है " हम मोतबरान तस्दीक करते है कि गोपू पुत्र नैना, इस नाम का आदमी नहीं है। साकिन बर, गंगासागर बेरा में पूछताछ किया गया, इस नैनाजी मिले, खुला मकान पर नोटिस हमारे रूबरू सस्पा किया।" जब इस नाम का व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, तो तामील पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है तथा हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिस्थापित तामील हेतु जो प्रक्रियाऐं एवं व्यवस्थाऐं प्रदान की है, अधीनस्थ न्यायालय को उनके अनुसरण में पर्याप्त एवं समुचित तामील हेतु कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की जाकर, अनुचित तामील को पर्याप्त मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये तथा मौका रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान कलमबद्ध करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सेटलमेन्ट की त्रुटी को अपने वाद का मुख्य आधार बनाया, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे सेटलमेन्ट की त्रुटी साबित होती हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकर की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2001 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सन्दर्भ कानूनों के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का गुणावगुण पर परीक्षण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली